

तमिलनाडु नें की अलग झंडे की मांग

अलग देश बनना चाहता है तमिलनाडु ?

BY - SUNIL VERMA SIR

AajTak

'तमिलनाडु का अलग झंडा हो', विजय के मंत्री की मांग, BJP ने बताया अलगाववादी सोच



टीवीके नेता आधव अर्जुन ने तमिलनाडु के लिए अलग झंडा बनाने की मांग की और कहा कि...

17 hours ago

ABP News

तमिलनाडु के लिए अलग झंडे पर विचार करेगी तमिलनाडु सरकार? विजय के मंत्री का बड़ा बयान



तमिलनाडु के PWD मंत्री आधव अर्जुन ने राज्य का तिरंगे जितने सम्मान का एक अलग...

11 hours ago

Jansatta

तमिलनाडु के लिए अलग ध्वज की मांग, TVK मंत्री बोले- सीएम विजय फहराएं झंडा, BJP ने बताया अलगाववादी सोच



मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि तमिलनाडु का अपना एक अलग झंडा होना चाहिए।

2 hours ago

Hindustan

तिरंगे के बराबर दूसरा झंडा, थलपति विजय के मंत्री ने राज्य के लिए मांगा अलग ध्वज, भाजपा भड़की



तमिलनाडु सरकार में थलपति विजय के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री आधव अर्जुन ने...

10 hours ago

Jagran

'तमिलनाडु का होगा अपना राज्य ध्वज', मंत्री आधव अर्जुन की राजनीतिक टिप्पणी पर विवाद



तमिलनाडु में अलग राज्य ध्वज को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है।

2 hours ago

The CSR Journal

Tamilnadu का होगा अपना राज्य ध्वज, मंत्री आधव अर्जुन के बयान पर मचा विवाद



चेन्नई। तमिलनाडु में एक बार फिर अलग राज्य ध्वज को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो...

1 hour ago

India Today

Row Over Separate Flag Demands in Tamil Nadu and Karnataka as BJP Warns Against Separatist Mindset - India Today



A fresh political flashpoint has erupted over demands for separate state flags in Tamil Nadu and Karnataka. In Tamil Nadu, a call was made...

1 hour ago

Daily Pioneer

TVK minister revives demand for Tamil Nadu flag; BJP warns of 'separatist mindset'



Tamil Nadu Minister Aadhav Arjuna reignites the call for a state flag, sparking a heated debate with BJP leader Vinoj P Selvam, who warns of...

12 hours ago

Moneycontrol.com

Vijay minister Aadhav Arjuna calls for separate Tamil Nadu flag on par with Tricolor, triggers row



The demand has drawn a sharp reaction from the Bharatiya Janata Party (BJP) state unit with party leader Vinod P Selwam accusing the TVK...

57 minutes ago

The New Indian Express

Tamil Nadu plans Tamil Sangam under Vijay, traditional attire day in govt offices



Aadhav Arjuna calls for separate TN flag, holidays on Nov 1 and July 18, wants all CBSE schools to teach Tamil.

36 minutes ago

India Today

TVK minister revives demand for Tamil Nadu flag, BJP slams separatist mindset



Tamil Nadu PWD and Sports Minister Aadhav Arjuna has called for a separate state flag that is "equal to the National Flag",...

14 hours ago

India Today

Tamil Nadu Minor Abuse Case: Cops Seek Passport Freeze, Issue Lookout Notice for Key Aide - India Today



A special investigation team probing the Tamil Nadu minor sexual abuse case involving prime accused Veeramani has widened its investigation,...

1 hour ago

तमिलनाडु में अलग झंडे की मांग पर गर्माई राजनीति:

टीवीके नेता आधव अर्जुन के बयान पर छिड़ा विवाद

तमिलनाडु में तमिल अस्मिता और भाषाई पहचान को लेकर एक बार फिर **तेज राजनीतिक घमासान** शुरू हो गया है।

तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख नेता और पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार **आधव अर्जुन** ने राज्य के लिए एक **अलग ध्वज (झंडा)** की वकालत की है।

उनका तर्क है कि जब देश के कुछ अन्य राज्यों के पास अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक और झंडे हैं, तो तमिलनाडु का भी अपना **एक स्वतंत्र ध्वज** होना चाहिए।

इस बयान के सामने आते ही **भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)** हमलावर हो गई है और इसे देश की एकता के खिलाफ **विभाजनकारी राजनीति** करार दिया है।







‘राष्ट्रीय ध्वज के बराबर हो दर्जा’ - आधव अर्जुन की मांग

तमिलनाडु दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम कों संबोधित करते हुए, **टीवीके नेता आधव अर्जुन** ने कहा कि राज्य को अपनी अनूठी पहचान और तमिल संस्कृति की रक्षा के लिए एक **अलग झंडा** बनाना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक ऐसा राज्य ध्वज होना चाहिए, जिसे **भारतीय तिरंगे के समकक्ष प्रतिष्ठा** प्राप्त हो।

अर्जुन ने यह भी सुझाव दिया कि इस मांग को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ब्लकि इसके लिए जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत **कानून भी पारित** किया जाना चाहिए।







18 जुलाई और 1 नवंबर को हर घर में झंडा फहराने का प्रस्ताव

अपनी इस मांग का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए **आधव अर्जुन** ने प्रस्ताव रखा कि इस प्रस्तावित राज्य ध्वज को **तमिलनाडु दिवस** के मौके पर आधिकारिक रूप से फहराया जाना चाहिए।

18 जुलाई
1 नवंबर

उन्होंने सुझाव दिया कि **पार्टी प्रमुख विजय** को **18 जुलाई और 1 नवंबर** को पहली बार इस झंडे का ध्वजारोहण करना चाहिए।

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी आह्वान किया कि राज्य के **हर नागरिक** को अपने घर पर गर्व के साथ यह झंडा फहराना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर **तमिल पहचान** को और अधिक मजबूती मिल सके।







भाजपा का तीखा पलटवार: 'अलगाववादी सोच को बढ़ावा देना बंद करें'

आधव अर्जुन के इस बयान पर **भाजपा** ने बेहद कड़ा रूख अपनाया है।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि **टीवीके** राजनीतिक लाभ हासिल करने और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने के लिए **अलगाववादी मानसिकता** को बढ़ावा दे रही है।

भगवा दल के नेताओं का कहना है कि **भारतीय तिरंगे** के नीचे देश के हर नागरिक और तमिल जनता की पहचान पूरी तरह सुरक्षित और सम्मानित है।

तमिल भाषा और उसकी प्राचीन सभ्यता सदियों पुरानी है, और अपनी महानता साबित करने के लिए उसे किसी **अलग झंडे या प्रमाण पत्र** की आवश्यकता नहीं है।









तमिलनाडु में पहले भी उठ चुकी है अलग झंडे की मांग

राज्य की राजनीति में **अलग झंडे** का यह विवाद कोई नया नहीं है।

इससे पहले, **1970 के दशक** में तत्कालीन मुख्यमंत्री **एम. करूणानिधि** ने भी तमिलनाडु के लिए एक अलग ध्वज की रूपरेखा तैयार कर केंद्र सरकार से उसकी मंजूरी मांगी थी।

हालांकि, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी** की सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

हाल ही में **कर्नाटक** में भी राज्य ध्वज को लेकर कानूनी चर्चाएं और बहसें छिड़ी थीं। ऐसे में, टीवीके नेता के इस नए बयान ने एक बारें फिर दक्षिण भारत की क्षेत्रीय राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय स्तर पर एक **तीखी बहस** छेड़ दी है।







तमिलनाडु के विधायक द्वारा राज्य के लिए अलग झंडे की मांग किए जाने के पीछे का ऐतिहासिक और राजनीतिक बैकग्राउंड

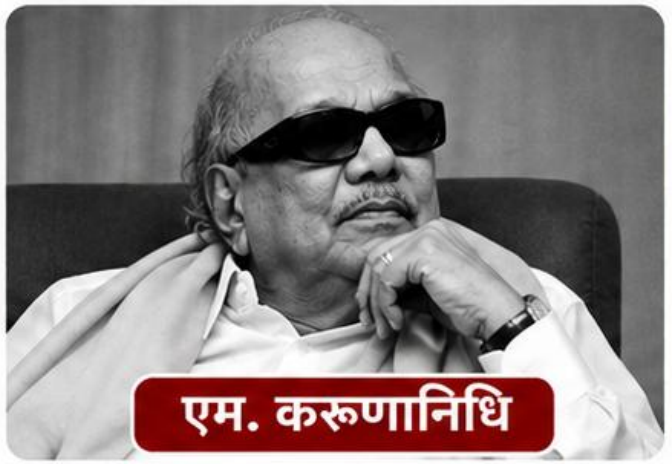
1. द्रविड़ियन राजनीति और 'राज्य स्वायत्तता' (State Autonomy)

ऐतिहासिक संदर्भ: तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से **द्रविड़ आंदोलन** पर आधारित रही है। 'द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम' (DMK) और अन्य क्षेत्रीय दल हमेशा से राज्यों के अधिकार और **'राज्य स्वायत्तता'** की वकालत करते रहे हैं।

1970 का दशक (एम. करूणानिधि की पहल): वर्ष 1970 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री **एम. करूणानिधि** ने पहली बार आधिकारिक रूप से तमिलनाडु के लिए एक अलग राज्य ध्वज की मांग उठाई थी।

उन्होंने एक डिजाइन भी प्रस्तावित किया था, जिसमें ऊपर की तरफ **तिरंगा** (राष्ट्रीय ध्वज) और नीचे के हिस्से में तमिलनाडु का राज्य प्रतीक **(श्रीविल्लीपुथुर गोपुरम)** शामिल था।

उस समय केंद्र सरकार ने **संघवाद (Federalism)** का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को **खारिज** कर दिया था।


एम. करूणानिधि






श्रीविल्लीपुथुर गोपुरम

2. क्षेत्रीय पहचान और तमिल भाषा/संस्कृति का गौरव

तमिलनाडु में अपनी **भाषा (तमिल)**, **संस्कृति** और **विशिष्ट द्रविड़ पहचान** को लेकर बहुत गहरा गौरव है।

विधायकों और नेताओं द्वारा समय-समय पर यह तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी राज्य का अपना **प्रतीक (State Emblem)**, पक्षी, पशु और फूल हो सकता है, वैसे ही उसकी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को दर्शाने के लिए एक **आधिकारिक ध्वज** भी होना चाहिए।



3. अन्य राज्यो के उदाहरण (जैसे कर्नाटक)

समय-समय पर भारत के अन्य राज्यों में भी अलग झंडे की मांग उठती रही है।

उदाहरण के लिए, **कर्नाटक** में कन्नड़ संगठन और सरकार द्वारा लाल और पीले रंग वाले **'कन्नड़ ध्वज'** को आधिकारिक दर्जा देने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। ऐसे उदाहरणों से तमिलनाडु में भी इस मांग को बार-बार बल मिलता है।



4. केंद्र-राज्य संबंधों में क्षेत्रीय स्वायत्तता का संदेश

जब भी केंद्र और राज्य के बीच **भाषाई नीति** (जैसे हिंदी को बढ़ावा देने का आरोप) या अधिकारों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता है, तब क्षेत्रीय दल और विधायक इस मांग को अपनी **सांस्कृतिक संप्रभुता** और **केंद्र के नियंत्रण के विरोध** के रूप में सामने रखते हैं।



1. यह मांग कब-कब उठी?

1970 (मुख्य और सबसे बड़ी औपचारिक मांग):

- तमिलनाडु में पहली बार आधिकारिक रूप से यह मांग **अगस्त 1970** में उठी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री **एम. करूणानिधि (DMK)** ने इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा और सार्बजगिक रूप से मांग रखी।
- करूणांनिधि ने एक डिजाइन भी तैयार करवाया था, जिसमें ऊपर एक चौथाई हिस्से में **भारत का तिरंगा** और मुख्य हिस्से में तमिलनाडु का राज्य प्रतीक **(गोपुरम)** था।





2017–2018 के दौरान पुनरुत्थान:

- जब पड़ोसी राज्य **कर्नाटक** ने 2017-18 में अपने राज्य ध्वज **(लाल-पीला ध्वज)** को कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की, तब तमिलनाडु के द्रविड़ियन संगठनों और कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने 1970 की मांग को फिर से याद किया और इसे लागू करने की बात उठाई।





समय-समय पर विधायकों/नेताओं द्वारा उठाई गई मांग:

- तमिलनाडु विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर जब भी **'राज्य स्वायत्तता' (State Autonomy)** या केंद्र-राज्य संबंधों पर चर्चा होती है, तब तमिल राष्ट्रवादी और द्रविड़ियन विधायक इस मांग को दोहराते रहते हैं।



2. केंद्र सरकार ने इसे कैसे डील किया?

1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रुख:

- जब एम. करूणानिधि ने नई दिल्ली जाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री **इंदिरा गांधी** के सामने यह प्रस्ताव रखा, तो केंद्र ने इसे **सीधे स्वीकार नहीं किया**।
- इंदिरा गांधी ने कहा कि वे इस विषय पर देश के **सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श** करेंगी।


इंदिरा गांधी


एम. करूणानिधि

अन्य मुख्यमंत्रियों का विरोध:

- **मैसूर (अब कर्नाटक), राजस्थान, ओडिशा** आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई राष्ट्रीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि अलग झंडे से **देश की अखंडता** को खतरा हो सकता है और **राष्ट्रीय ध्वज** का महत्व कम हो सकता है।



मांग का अंतत: ठंडा पड़ना:

- व्यापक विरोध और केंद्र सरकार की अनिच्छा **(Reluctance)** के कारण केंद्र ने इस प्रस्ताव को **ठंडे बस्ते में डाल दिया**। धीरे-धीरे केंद्र के रूख के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ सका और कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली।



3. संवैधानिक और legal स्थिति क्या है?

संविधान का रुख:

भारतीय संविधान में राज्यों के लिए अलग ध्वज की न तो **स्पष्ट मनाही** है और न ही कोई **स्पष्ट प्रावधान**।



सुप्रीम कोर्ट (S.R. Bommai केस, 1994):

अदालत ने माना था कि यदि कोई राज्य अपना झंडा फहराता है, तो वह गैर-संवैधानिक नहीं है, बशर्ते वह **राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर न हो या उसका अपमान न करे**।



व्यावहारिक नीति:

इसके बावजूद, केंद्र सरकार हमेशा यही मानती रही है कि भारत **"एक राष्ट्र, एक ध्वज"** के सिद्धांत पर मजबूती से बना रहे ताकि देश में अलगाववादी या क्षेत्रीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा न मिले।



वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य के पास अपना **कोई आधिकारिक अलग झंडा नहीं है**। भारतीय संविधान और देश की व्यवस्था **"एक राष्ट्र, एक ध्वज"** के सिद्धांत पर काम करती है।



1. किस राज्य के पास अलग झंडा था और कब तक?

जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir):

- **कब से था:** भारत के राज्यों में केवल जम्मू-कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 370** और अपने खुद के राज्य के संविधान के तहत एक अलग आधिकारिक झंडा (लाल रंग का, जिसमें हल और तीन पट्टियां थीं) था। यह व्यवस्था **1952 से लेकर अगस्त 2019** तक लागू रही।
- **कब समाप्त हुआ: अगस्त 2019** में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद, जम्मू-कश्मीर का वह अलग झंडा कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया।



अन्य राज्य:

- **कर्नाटक** और **तमिलनाडु** जैसे राज्यों में अलग झंडे की मांग समय-समय पर राजनीतिक रूप से उठती रही है, लेकिन किसी भी अन्य राज्य को कभी भी कानूनी या आधिकारिक तौर पर अलग झंडा रखने की **अनुमति नहीं दी गई।**





2. अलग झंडे की वजह से कौन-कौन सी समस्याएं (Problems) पैदा होती हैं?

यदि किसी देश में राज्यों के अलग झंडे की अनुमति दी जाए, तो इससे निम्नलिखित **गंभीर समस्याएं** और **प्रशासनिक चुनौतियां** खड़ी हो सकती हैं:

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती (Threat to National Integrity):

- अलग झंडा होने से लोगों में **'देश'** से पहले **'राज्य'** की क्षेत्रीय पहचान या भावना प्रबल होने लगती है। इससे **अलगाववादी ताकतों** को बढ़ावा मिल सकता है और देश की **अखंडता** कमजोर हो सकती है।



राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) के सम्मान और प्रोटोकॉल का विवाद:

- यह सबसे बड़ा व्यावहारिक संकट है। अगर राज्य का अपना झंडा होगा, तो सरकारी कार्यालयों, वाहनों और कार्यक्रमों में यह बहस हमेशा बनी रहेगी कि **तिरंगा ऊपर रहेगा** या **राज्य का झंडा**। **जम्मू-कश्मीर** में भी अक्सर यह विवाद रहता था कि मंत्री या अधिकारी किस झंडे को प्राथमिकता दें।



2. अलग झंडे की वजह से कौन-कौन सी समस्याएं (Problems) पैदा होती हैं?

'एक देश, एक पहचान' की भावना को ठेस:

- भारत एक संघ (Union of States) है। अलग-अलग झंडे होने से नागरिकों के मन में यह संदेश जा सकता है कि वे पहले अपने राज्य के नागरिक हैं और बाद में भारत के, जो राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है।



राजनीतिक और क्षेत्रीय तनाव:

- ऐसी मांगें अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण (Polarization) और केंद्र-राज्य के बीच टकराव का कारण बनती हैं। इससे देश का प्रशासनिक ध्यान विकास से हटकर अनावश्यक वैचारिक बहसों में उलझ जाता है।



1. संवैधानिक और कानूनी स्थिति (Legal & Constitutional Framework)

संविधान में स्पष्टता का अभाव:

- भारतीय संविधान में राज्यों के अलग झंडे को लेकर न तो कोई **प्रत्यक्ष प्रतिबंध (Prohibition)** है और न ही इसके पक्ष में कोई **स्पष्ट प्रावधान** हैं।



सुप्रीम कोर्ट का रुख:

- सुप्रीम कोर्ट (जैसे एस.आर. बोम्मई मामले में) यह मान चुका है कि संविधान में राज्यों के अलग झंडे पर पूरी तरह पाबंदी नहीं है, बशर्ते वह **राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) का अपमान न करे** और हमेशा तिरंगे के नीचे फहराया जाए।



प्रतीक अधिनियम (Emblems and Names Prevention Act):

- केंद्र सरकार के पास ऐसे कानून हैं जो **राष्ट्रीय प्रतीकों** और **सम्मान** को नियंत्रित करते हैं।



2. राज्य सरकार की भूमिका (Role of State Government)

यदि कोई राज्य सरकार अपने लिए **अलग झंडा** चाहती है, तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है:

विधानसभा या मंत्रिमंडल का प्रस्ताव:

- राज्य सरकार अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का हवाला देते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में या विधानसभा में राज्य के झंडे के डिजाइन को **मंजूरी देने का प्रस्ताव (Resolution)** पारित करती है। (जैसे अतीत में कर्नाटक सरकार ने समिति बनाकर किया था)।



नियम/अधिसूचना तैयार करना:

- राज्य सरकार अपने आधिकारिक **राजपत्र (Gazette)** मे इसे राज्य के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में अधिसूचित करने की कोशिश करती है।



सीमाएं:

- राज्य सरकार के पास केवल सांस्कृतिक प्रतीकों (जैसे राज्य पशु, पक्षी, फूल) को तय करने का अधिकार होता है, लेकिन एक संपूर्ण **'राज्य ध्वज'** जिसे राजनीतिक या आधिकारिक संप्रभुता के रूप में देखा जाए, उसे केवल स्थानीय स्तर पर लागू करना **केंद्र के सहयोग बिना कठिन** होता है।



3. केंद्र सरकार की भूमिका (Role of Central Government)

यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि भारत एक **मजबूत संघ (Union of India)** है:

नीतिगत और राजनीतिक स्वीकृति:

- केंद्र सरकार की इस पर अंतिम राजनीतिक और प्रशासनिक नीति **'एक राष्ट्र, एक ध्वज' (One Nation, One Flag)** की रही है।



संवैधानिक और विधाई नियंत्रण:

- अगर कोई राज्य अलग झंडा लाने का प्रयास करता है, तो केंद्र सरकार यह देखती है कि इससे देश की अखंडता, संप्रभुता या **राष्ट्रीय ध्वज के प्रोटोकॉल (Flag Code of India)** पर कोई असर न पड़े।



वीटो या रोक लगाने की शक्ति:

- केंद्र सरकार के पास यह शक्ति होती है कि वह ऐसी किसी भी मांग या राज्य के प्रस्ताव को **राष्ट्रीय सुरक्षा**, **एकता** और देश के **संघीय ढांचे (Federal Structure)** के खिलाफ मानकर खारिज कर दे या उसे कानूनी रूप से मान्यता देने से मना कर दें। जैसा कि **1970 में इंदिरा गांधी सरकार** ने तमिलनाडु के मामले में किया था।



Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Result Mitra

Subscribe Now

Stay Connected



